


श्री १०॥२५

पत्राक्षी पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष
उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा
अपीलांत एवं रेस्पोण्ड संख्या 1 से 6
द्वारा हस्ताक्षरित एवं अपीलांत की
पहचानकर्ता अधिवक्ता मंदकिशोर एवं तथा
रेस्पोण्ड के पहचानकर्ता अधिवक्ता
अर्जुनराम शर्मा द्वारा पहचान एवं
उभयपक्ष द्वारा निश्चयित राजीनामा पेश
किया। शर्मा पत्राक्षी किया गया।
उपरोक्त पक्षकारान के हस्ताक्षर वास्तविक एवं
उभयपक्ष अधिवक्ता की वरुस सुनी गयी।
उभयपक्ष द्वारा यह जाहिर किया
कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य
राजीनामा हो चुका है अतः प्रकरण
लोक अदालत की भवना से जहिर
राजीनामा निस्तारित करवाना चाहते हैं।
अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर
अपीलाधीन सिंगिय अपाल्ट करावें।




तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

हमने पत्रावली एवं उभयपक्षकारान द्वारा निष्पादित राखीनामों का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि पक्षों में दोनों पक्षों द्वारा आरानी का पंजीकृत वेचन से हस्तांतरण कर दिया है तथा उभयपक्ष के मध्य विवाद का विषय समाप्त हो चुका है ऐसी स्थिति में अपीलधीम निर्णय की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है साथ ही उभयपक्ष द्वारा जारिये राखीनामा यह भी जाहिर किया कि उनके मध्य वर्तमान में कोई विवाद शेष नहीं है अतः अपील अपीलान्त बन्वुकी स्थापित होने से स्वीकार किया जाकर अपीलधीम निर्णय दिनांक 20/9/23 पक्षों/संख्ये 19/2002 अपालत किया जाता है निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली एवं तमनील कैसल सुमार लेकर दाखिल पत्रा हो।

राजस्व अपील प्राधिकरण
पाली केम्प-बालौर

25/9
समीक्षा



25/9 श्रीका



(अपीलान्त)



25/9
कुली

इसकोडोर

अपीलान्त
अपीलान्त